

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

E-mail: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Telefax- 0135-2631765

प्रेवा में

पत्राक-

12-1 दिनांक- 29 /

08 / 2020

वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/100/2016/एफ0सी0/2303, दिनांक-16.01.2020 |

महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में इंगित आनलाईन ई०डी०एस० कमियों का प्रयोक्ता एजेन्सी एंव इस प्रभाग के स्तर से बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है, जो कि आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

कं0	कमियां	निराकरण
सं0		
1.	The case has already been closed vide letter	बिन्दु संख्या-01 के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में
	date 25-09-2017. State Government may	भारत सरकार द्वारा दिनांक—15.06.2016 से इंगित किमयों
	submit the reason for delay of almost four	का निराकरण करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस
	years to submit the proposal.	कार्यालय, वन संरक्षक कार्यालय एवं नोडल कार्यालय से
		पत्र व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण भारत
		सरकार के उक्त ई०डी०एस० पत्र का प्रतिउत्तर भारत
		सरकार को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।
2	State Government may submit request for	बिन्दु संख्या—02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
	re-opening in view of the para 1.20 of	अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव
	guidelines.	को पुर्नजीवित करने हेतु अपने पत्र
		संख्या—149 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सिं०ख०—दे०दून,
		दिनांक— 12.02.2020 से अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया
		है। (छायाप्रति संलग्न)
3.	State Government may mention the name of	बिन्दु संख्या—03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
	the person in the authorization letter.	authorization letter में अधिकारी का नाम उल्लेख कर
		ऑनलाईन पोर्टल में यथास्थान अपलोड कर दिया गया
		है।
	It is seen that one village i.e. Naliwala	बिन्दु संख्या–04 के कम प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत
4.	submitted to be benefited but on perusal of	कराया गया है कि KML file में दिखाई दे रही सम्पूर्ण
	the KML file two habitataion seems	habitataion नांलीकला ही है। स्पष्ट करना है कि KML
	connecting from the proposed road. State	file में दिखाई दे रही दूसरी habitataion ग्राम–समा
	Government may mark the location of the	नालीकलां की एक तोक है, जो कि इसी ग्राम-सभा में
	village in KML file.	सम्मिलित है।
		MINIMI 61
	그 그리고 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그리고 그 그리고 그 그리고 그 그리고 그 그리고 그리고	

- /	5.	Cost benefit analysis uploaded in old	के के के के कि में मार्थ में मार्थ अधिकरण दारा
1		benefit analysis has been uploades in new format but the same is still in old format. State Government may upload cost benefit	बिन्दु संख्या—05 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा Cost benefit analysis निर्धारित प्रपन्न में ऑनलाईन पार्टल में यथास्थान अपलोड अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न)
		analysis in new format.	
	6.	In the VLC proceeding of village Naliwala, name of village Talai mentioned in the last para. State Government may submit clarification in this regard.	बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC proceeding में संशोधन कर लिया गया है। (संलग्न)
	7.	State Government may upload the administrative approval, land schedule, CA scheme, Geologist report, work not start certificate and joint inspection report online.	बिन्दु संख्या—07 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा administrative approval, land schedule, CA scheme, Geologist report, work not start certificate and joint inspection report ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट—I में Additional information column के कमशः क0सं0—23, 21, 18, 27, 26 व 27 में अपलोड कर दी गयी है।
	8.	As per component wise breakup filled in para-B 2.4 in Part-I, 0.27 ha area is taken for muck disposal. On perusal of the muck disposal plan, it is found that 0.24 ha proposed in forest land (0.18 ha in RF & 0.06 ha in Civil soyam) and 0.03 in non forest land. State Govt. may remove this discrepancy and submit clarification.	बिन्दु संख्या—08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा para-B 2.4 in Part-I में component wise breakup में संशोधन कर सही कर लिया गया है।
	9.	State Government may explore possibilities to avoid muck disposal in reserve forest area.	बिन्दु संख्या—09 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डिम्पंग क्षेत्र को आरक्षित वन भूमि से बदलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया है किन्तु पाया गया कि मक डिम्पंग क्षेत्र को आरक्षित वन में चयनित करना अपरिहार्य है।
	10.	State Government may submit the details of trees to be affected in muck dumping area.	बिन्दु संख्या—10 के कम में अवगत कराना है कि मक डम्पिंग हेतु वृक्षहीन क्षेत्र का चयन किया गया है, जिसमें किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है।
	11.	As per DSS analysis 3 ha area found VDF and 14 ha in MDF proposed in degraded forest area. State Govt. may change the CA area with some other area suitable for plantaion having no MDF & VDF.	बिन्दु संख्या—11 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि का चयन कर लिया गया है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज एवं मानचित्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।
	12.	State Government may submit/upload the bar chart, muck disposal plan & Justification duly countersigned by DFO.	बिन्दु संख्या—12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बार चार्ट एवं Justification में अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
	13.	Rs. 288700/- plan prepared by DFO for transplantion of trees falling in 0-10 cm. State Government may submit the comments in view of the discussion held in earlier REC meeting for transplantion in hill area.	विन्दु संख्या–13 के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित संरखण का वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक–07.12.2015 को रथलीय निरीक्षण किया गया। मार्ग के संरेखण में प्रभावित होने वाले 0–10 संमी0 व्यासवर्ग के 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन

14		कर्मियों की देखरेख में transplantion किये जाने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में खबत वृक्षों के transplantion योजना मय प्राक्कलन के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि slow growing species i.e. Oak, Rhododendron, Cedrus etc. का transplantion प्रभाग में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस मोटर मार्ग में निर्माण से ऊपर लिखित प्रजातियों के 0–10 सेमी0 के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिस हेतु transplantion scheme उच्च स्तर को प्रेषित की गयी है।
	Two NPV calculation sheet found uploaded in Part-II. State Government may remove the discrepancy and submit correct NPV calculation sheet.	बिन्दु संख्या–14 के अनुपालन में ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-II के Additional Column में संशोधन कर सही NPV calculation sheet अपलोड की गयी है।
15.	Repetitive documents file found uploaded in part-I & part-II. State Govt. may sumit clarification in this regard.	बिन्दु संख्या—15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा Repetitive documents को ऑनलाईन पोर्टल के पाट—I व पार्ट—II से हटा लिया गया है।
16.	Comments not made by DFO in his site inspection report against all columns. State Government may submit the site inspection report of DFO mentioning comments against each para.	बिन्दु संख्या—16 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक—23.08.2020 को मोटर—मार्ग हेतु चयनित समरेखण का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है एवं इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (संलग्न)
17.	State Government may submit the original hard copy of following documents:-	विन्दु संख्या—17 के अनुपालन में निम्न दस्तावेजो की मूल प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
	 a. Site inspection report of DFO b. Site inspection report of CF c. Digital map & SoI toposheet of proposed road duly C/s by DFO d. Justification duly C/s by DFO e. FRA f. Revised detailed muck disposal plan duly C/s by DFO g. CA site suitability ceritificate h. CA Scheme i. Administrative approval j. Land schedule k. Geologist report l. Aerial distance from national park/wild life sanctuary m. Work not start certificate n. Joint inspection report o. Tree enumeration list in dumping area 	a. Enclosed b. आपके स्तर से संबंधित है। c. Enclosed d. Enclosed e. Enclosed f. Enclosed g. Enclosed h. Enclosed i. Enclosed j. Enclosed k. Enclosed l. Enclosed n. Enclosed o. Enclosed

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम छोर पर एक पक्का मार्ग पूर्व से उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित मार्ग का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या—18 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदन (संलग्नक—) इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण से नालीकलां ग्राम सभा की राजधानी क्षेत्र देहरादून से दूरी कम हो जायेगी, जिससे ग्रामवासियों को उच्च शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं एवं कृषि उपज को मंडियों में पहूंचाने में आसानी होगी।

अतः महोदय की सेवा में निराकरण/आख्या सादर प्रेषित।

संलग्न – उक्तानुसार।

(कहकशां नसीम) उप वन संरक्षक

संख्याः— / दिनांकित प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(कहकेशां नसीम) उप वन संरक्षक